

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० -112ए/2022

अनवान : -

1. मनोहरलाल पुत्र आत्माराम जाति स्वामी निवासी नेठराना त० भादरा।

वादी

बनाम

1. आत्माराम पुत्र भोमाराम जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. वेदपाल स्वामी पुत्र आत्माराम जाति स्वामी निवासी नेठराना त० भादरा।
3. निर्मला कुमारी पुत्री आत्माराम पत्नी सन्दीप कुमार जाति स्वामी नि० नेठराना त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री श्रवण सहारण वादी
श्री श्रवण सहारण द्वितीय प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 21-6-22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता सं० 47/41 के मु०न० 28 के किला न० 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 22 ता 25 मु०न० 29 के किला न० 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, मु०न० 30 के किला न० 11, 20, 21 मु०न० 31 के किला न० 1, 10 मु०न० 32 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20, 21/1, 21/2, 22 ता 24, 25/1, 25/2 मु०न० 33 के किला न० 25/1, 25/2 इस प्रकार कुल 15.180 है० नहरी 14.904 है० 0.076 है० रास्ता, 0.200 है० खाला में प्रतिवादी सं० 1 आत्माराम के नाम 3/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है व हिन्दू विधि से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा भोमाराम की खातेदारी हुआ करती थी। भोमाराम के बाद प्रतिवादी सं० 1 ने महज कर्ता खानदान के कारण अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 3 का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी वादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही बिनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में मनोहरलाल पुत्र आत्माराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श 1 जमाबंदी चालू चक 9 एनटीआर प्रदर्श 2 जमाबंदी पैतृक प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता सं० 47/41 के मु०न० 28 के किला न० 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 22 ता 25 मु०न० 29 के किला न० 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, मु०न० 30 के किला न० 11, 20, 21 मु०न० 31 के किला न० 1, 10 मु०न० 32 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20, 21/1, 21/2, 22 ता 24, 25/1, 25/2 मु०न० 33 के किला न० 25/1, 25/2 इस प्रकार कुल 15.180है० नहरी 14.904है० 0.076है० रास्ता, 0.200है० खाला में प्रतिवादी सं० 1 आत्माराम के नाम 3/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत जमाबंदियों से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया सं० 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता सं० 47/41 के मु०न० 28 के किला न० 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 22 ता 25 मु०न० 29 के किला न० 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, मु०न० 30 के किला न० 11, 20, 21 मु०न० 31 के किला न० 1, 10 मु०न० 32 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20, 21/1, 21/2, 22 ता 24, 25/1, 25/2 मु०न० 33 के किला न० 25/1, 25/2 इस प्रकार कुल 15.180है० नहरी 14.904है० 0.076है० रास्ता, 0.200है० खाला में प्रतिवादी सं० 1 आत्माराम के नाम 3/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं० 1 आत्माराम की बजाए वादी मनोहरलाल व प्रतिवादी सं० 1 आत्माराम व प्रतिवादी सं० 2 वेदपाल स्वामी को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21-6-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भारत सरकार, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० — 112ए/2022

अनवान : —


1. मनोहरलाल पुत्र आत्माराम जाति स्वामी निवासी नेठराना त० भादरा। वादी
बनाम
1. आत्माराम पुत्र भोमाराम जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. वेदपाल स्वामी पुत्र आत्माराम जाति स्वामी निवासी नेठराना त० भादरा।
3. निर्मला कुमारी पुत्री आत्माराम पत्नी सन्दीप कुमार जाति स्वामी नि० नेठराना त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण व वकील प्रतिवादी श्री श्रवण सहारण द्वितीय की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता सं० 47/41 के मु०न० 28 के किला न० 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 22 ता 25 मु०न० 29 के किला न० 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, मु०न० 30 के किला न० 11, 20, 21 मु०न० 31 के किला न० 1, 10 मु०न० 32 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20, 21/1, 21/2, 22 ता 24, 25/1, 25/2 मु०न० 33 के किला न० 25/1, 25/2 इस प्रकार कुल 15.180है० नहरी 14.904है० 0.076है० रास्ता, 0.200है० खाला में प्रतिवादी सं० 1 आत्माराम के नाम 3/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं० 1 आत्माराम की बजाए वादी मनोहरलाल व प्रतिवादी सं० 1 आत्माराम व प्रतिवादी सं० 2 वेदपाल स्वामी को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-6-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा

से जारी की गई।




(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़